

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

35 ~~सर्वे~~ हरीहर, ग्रामीण (निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, हाठ राव मुठ मलगाड पुत्र/पुत्री/पत्नी मुठ सदीक
आयु 48 वर्ष, जो

का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-



(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं २६०

(ii) पुलिस थाना (थाने) २६० जिला (जिले) २६० राज्य २६०

(iii) अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का सक्षम विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है २६०

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई २६०

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे २६०

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं २६०

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

हाठ राव

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/ नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... २५६०
- (ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है..... १५६०
- (iii) पुलिस थाना (थाने)..... १५६० जिला (जिले)..... १५६०
..... १५६० राज्य..... १५६०

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... १५६०

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं..... १५६०

स्थान

तारीख

२५/१०/१२

सत्यापन

Padam Singh

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर
Reg. No. 8304/99



उपरोक्त अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्गत सही सत्यता का ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भी अर्थ नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

.....स्थान पर आज तारीख.....को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

IDENTIFIED BY

टिप्पणी :- इस प्ररूप के दो स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।

VERIFIED & ATTESTED
Sanjeev Kumar
(Sanjeev Kumar)
Advocate & Notary
Roorkee, Distt. Haridwar
Reg. No. 8719/2011

Padam Singh
Civil Court, Roorkee
Reg. No. 8304/99

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 619675

कोषाधिकारी (सिडको)
कोड अकाउंट - 5500
28 DEC 2011
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
2010-2011



शानिला

11/12/11